रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2018, शनिवार/ पौष 2—पौष 8, 1940

No. 32] NEW DELHI, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 2—PAUSHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (अनुसचिवीय पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

2. For rule 2 of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Group 'B' posts) Drawing Recruitment Rules, 2011, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. – The number of said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules" .

3. In the Schedule to the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Group 'B' posts) Drawing Recruitment Rules, 2011, —

(a) against serial number 1, relating to the post of Junior Technical Officer (Drawing), —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 7 (Rs. 44900 to Rs. 142400)";

(ii) in column (11), for the words and figures "Pay Band-2, Rs. 9300- 34800 with Grade Pay of Rs. 4200", the words, brackets and figures "Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(iii) Note 2 shall be omitted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Senior Draughtsman, -

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: —

"Level in Pay Matrix
(4)
"Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)";

(ii) in column (11), for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400", the words, brackets and figures "Level 4 (Rs. 25500 to Rs. 81100) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(iii) Note 2 shall be omitted.

[F. No.A/86320/RR/Drawing/DGQA/Adm-10/ /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD,Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 78 dated the 12th December 2011 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 24th December, 2011.

नई दिल्ली 9 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, में –

अ. नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। "

आ. अनुसूची में,-

(I) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर

निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 6 (35400 से 112400 रू)"

(II) स्तंभ (11) में,

(क) "प्रोन्नति" उपशीर्ष के अधीन,-

(i) "वेतन बैंड-1, रू. 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 रू. " शब्दों,

अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" शब्द, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा।

(ख) "प्रतिनियुक्ति" उपशीर्ष के अधीन,-

(i) "वेतन बैंड-1, रू. 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 रू. " शब्दों,

अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5" शब्द, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii) "वेतन बैंड-1, रू. 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 रू. " शब्दों,

अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" शब्द, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा।

(फा सं. ए/86320/आर आर/एसएसएस/डीजीक्यूए/प्रशासन-10/ 1000 /डी (क्यू ए)/2018

आर राजेन्दर गौड़, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 25/02/2012 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 08, तारीख 09/02/2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 9th October, 2018

S.R.O.141 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Senior Stores Superintendent) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. **Short title and Commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Senior Stores Superintendent) Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Senior Stores Superintendent) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012,-

A. for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules";

B. in the Schedule, —

(I) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, —

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)";

(II) in column (11),-

(a) under sub-heading 'Promotion',-

(i) for the words, letters and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 2400", the words and figure "Level 4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) "Note 2" shall be omitted;

(b) under sub-heading 'Deputation',-

(i) for the words, letters and figures "Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2800", the words and figure "Level 5 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) for the words, letters and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 2400" , the words and figure "Level 4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(i) "Note 3" shall be omitted.

[File No.A/86320/RR/SSS/DGQA/Adm-10/ 1000 /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 08 dated the 9th February 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 25th February, 2012.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, .2018

का.नि.आ. 142.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में, -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट है।" ;